बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—5 न0वि० / गठन—01 / 2017 6512 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—2212 दिनांक—24.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा—5 के अधीन प्राप्त आपित्तयों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा—6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा बांका जिलान्तर्गत बांका नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, बांका के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद् बांका कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 4/10/2017 (चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

सं० संख्या—5 न०वि० / गठन—01 / 2017 **6512** / न०वि०एवं आ०वि० / पटना, दिनांक— **५००००** प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालयं मुद्रणालयं, गुलजारबागं, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विमाग को उपलब्ध करावेंगे।

> प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

संव संख्या—5 नविव / गठन—01 / 2017 65/2 / नविव एवं आविव / पटना, दिनांक—5/10/17 प्रतिलिपिः—सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्तं / सभी जिला पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, बांका / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव / के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सर्चिव नगर विकास एवं आवास विभाग

सं0 संख्या—5 न0वि0 / गठन—01 / 2017 65 12 / न0वि0एवं आ0वि0 / पटना, दिनांक 5/1017 प्रतिलिपिः—सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—5 निर्वावि / गठन—01 / 2017 अधिसूचना संख्या—७ र दिनाक—> / ७ / १ का अंग्रेजी में
निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान
के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा ज़िया।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
4/10/2017
(चेतन्य प्रसाद्) /
्रप्रधान सचिवं
नगर विकास एवं आवास विभाग
Government of Bihar
Urban Development and Housing Department Memo No-5 N.vi/Gathan-01/2017 6513 /After due consideration on objection received under
section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-2212
dated-24-03.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) in
exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the Government of Bihar is hereby
pleased to constitute the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat Banka and its present
boundaries within the district of Banka as the Nagar Parishad, Banka, which will be called the
Nagar Parishad, Banka.
2. This notification shall come in to force at once.
By the order of the Governor of Bihar
(10/2017
(Chaitan a Prasad)
Principal Secretary
Memo No- 5 N.vi/Gathan-01/2017 65 13 Urban Development and Housing Department UD&HD Dated:- 5 10113
Dated) 110117
Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.
2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and
Housing Department.
Principal Secretary
Urban Davelonment and Housing Dangetment
Memo No- 5 N.vi/Gathan-01/2017 6513 UD&HD Dated:- 5/10/17
Copy to All Departments/Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District
Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury
Officer, Banka/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Private Secretary to
the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and
necessary action
4/10/207
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department
Memo No- 5 N.vi/Gathan-01/2017 6513 UD&HD Date - 510117
Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna-for information
and necessary action.
Principal Secretary
Urhan Development and Housing Department